

Form No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत **सहायक कलेक्टर** मुकाम
 पाली (राज.)
 सरकार बनाम मंगाराम
 किस्म मुकदमा राजस्व विविध नम्बर 584 सन् 2018
 चस 177 RTA-1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.10.19	<p>सरकारी पैरो 03701 वकील अपाधी 277। जिन्होंने जबाब के दौरान बताया कि अपाधी ने ग्राम-शुडा एन्डला द्वितीय के ख.नं. 869 रकबा 5.15 बीघा में स्वयं के क्लेमेण्टी 0.02 बिस्वा खेतदारी भूमि पर स्वयं के उपयोग-उपयोग हेतु आवासीय मकान बनाया है जिसमें अपाधी स्वयं निवास कर रहे हैं। जिसमें किसी प्रकार की नियमों की अपेक्षा नहीं की गयी है। निम्नानुसार 2 बिस्वा भूमि आवासीय उपयोग की जाती है परन्तु निम्न योज्य है। जिस पर सरकारी पैरो की क्लेमेण्टी जारी जिन्होंने यह स्वीकार किया कि खेतदार स्वयं के उपयोग हेतु 0.02 बिस्वा अर्थात् 161 वर्गमीटर भूमि का आवासीय उपयोग कर सकते हैं। क्लेमेण्टी के पश्चात पत्रावली का गठना से अवलोकन किया एवं क्लेमेण्टी पर मन्त्र किया गया। लिहाजा प्राचीन सरकार का प्राधान्य अन्तर्गत धारा 177 राज.आ.अ. 1955 मुन्तेनेकल नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली पैसल नुमार लोक नम्बर 584</p>	

सहायक कलेक्टर
 पाली (राज.)

